ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2017 का कार्यवृत्त

समयः 02:00 बजे
स्थानः माननीय कुलपति महोदय के आवासीय सभागार

उपस्थिति

1.	प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डा0 अजय नाथ झा	–	सदस्य
3.	डा0 भोला चौरसिया	–	सदस्य
4.	डा0 अमर कुमार	–	सदस्य
5.	डा0 अजीत कुमार चौधरी	–	सदस्य
6.	डा0 एन0के0 अग्रवाल	–	सदस्य
7.	डा0 अवधेश कुमार सिंह	–	सदस्य
8.	डा0 अरूणिमा सिन्हा	–	सदस्य
9.	श्रीमती इस्मत जहाँ	–	सदस्य
10.	डा0 बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
11.	डा0 विनोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
12.	डा0 फैयाज अहमद	–	सदस्य
13.	श्रीमती नीलिमा ठाकुर	–	सदस्य
14.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	–	सदस्य
15.	डा उपेन्द्र कुमार	–	सदस्य
16.	डा0 महेन्द्र प्रसाद सिंह	–	सदस्य
17.	डा0 विरेन्द्र कुमार चौधरी	–	सदस्य
18.	श्री संजय सरावगी	–	सदस्य
19.	डा0 डी0 एन0 पासवान	–	सदस्य
20.	मो0 अमानुल हक	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	श्री विनोद कुमार, वित्त पदाधिकारी	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
22.	मुस्तफा कमाल अंसारी, कुलसचिव	–	सचिव

माननीय अध्यक्ष सह कुलपति महोदय ने आगत सभी सदस्यों को अभिवादन किया उसके बाद सदन से महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित नये सदस्य श्री संजय सरावगी का स्वागत का प्रस्ताव किया गया जिसकी स्वीकृति उपरान्त मिथिलांचल परम्परा के अनुसार पाग,चादर एवं पुष्पगुछ से माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी का स्वागत किया गया। श्री सरावगी ने सर्वप्रथम विद्वत जनों के बिच सहभागिता के अवसर प्रदान किये जाने के लिए महामहिम कुलाधिपति महोदय के प्रति आभार ज्ञापित किया तथा विश्वविद्यालय के विकास में प्रसासनिक,आकादमिक,शिक्षण व्यवस्था तथा छात्रहित के सभी मामले में सहयोग एवं सहभागिता का आश्वासन दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा किया गया कि अधिसूचित बैठक को "बजट सत्र की बैठक किया जाय के प्रस्ताव" को सदन में स्वीकृत दी गयी उसके पश्चात

कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अधिसूचित कार्यसुची को निम्न प्रकार संशोधित किये जाने प्रस्ताव सदन में किया गया – मद सं0 1 एवं मद सं02 को यथावत रखते हुए मद सं0 3 में वित्तीय वर्ष 2018–2019 के संशोधित आय व्यायक के अनुमोदन पर विचार। मद सं0 4 में अधिषद् की पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 22.12.2017 के अनुमोदन पर विचार। मद सं0 5 में अधिषद् की आगामी बैठक की कार्यसूची में प्रस्तावक के नाम के अनुमोदन पर विचार। मद सं0 6 में माननीय अधिषद् सदस्यों द्वारा किये गए प्रश्नों के लिखित उत्तर के अनुमोदन पर विचार। मद सं0 7 में अधिषद् में वर्ष 2018–2019 के बजट अभिषद् के बरीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर विचार। मद सं0 8 में अधिषद् में वर्ष 2018–2019 के बजट अभिभाषण के अनुमोदन पर विचार। मद सं0 9 में विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार। तथा मद सं0 10 में अतिरिक्त यदि कोई हो (अध्यक्ष की अनुमति से)। कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत संशोधित कार्यसूची को सदन में स्वीकृत प्रदान की गयी तदोपरान्त कुलसचिव द्वारा कोरम पूरा होने की सूचना अध्यक्ष महोदय को प्रदान किया गया और बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने की अनुमति माननीय कुलपति–सह–अध्यक्ष महोदय से माँगी गयी। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की विधिवत् कार्यवाही कुलसचिव ने प्रारम्भ की।

मद सं0 1.	अभिषद् की गत बैठक दिनांक 12.12.2017 के कार्यवृत की संपुष्टि पर विचार।
निर्णयः	**अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2017 के कार्यवृत को पढ़ा गया तदोपरान्त बैठक के अतिरिक्त मद सं 01 में वित्तीय अनियमितता अगर पायी जाती है तो मामले की जॉच किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । अतिरिक्त मद सं0 3 के निर्णय में प्रधानाचार्य को पत्र प्रेषित कर उक्त तीन दाताओं के अतिरिक्त अन्य दाताओं की सूची यदी हो तो उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया। अतिरिक्त मद सं0 7 के निर्णय को निरस्त किया गया तथा अगले बैठक में प्रस्ताव किस प्रकार उपस्थित हुई इसकी जानकारी उपल्बध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त संशोधनों के साथ गत बैठक के सभी निर्णयों को यथावत सम्पुष्ट किया गया।**
मद सं0 2.	अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेन पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, अभिषद् की बैठक दिनांक 08.01.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेन पर सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। परिशिष्ट –(क) पृ0सं0–(6–8)**
मद सं0 3.	वित्तीय वर्ष 2018–2019 के संशोधित आय–व्यायक के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः	**वित्तीय वर्ष 2018–2019 के संशोधित आय–व्यायक पर सदस्यों द्वारा विचार किया गया तथा विचारोपरान्त, वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय–व्यायक को अनुमोदित करते हुए अधिषद् में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।**
मद सं0 4.	अधिषद् की पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 22.12.2017 के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, अधिषद् की पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 22.12.2017 को अनुमोदित किया गया।**
मद सं0 5.	अधिषद् की आगामी बैठक की कार्यसूची में प्रस्तावक के नाम के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः	**सदन में अधिषद् की आगामी बैठक की कार्यसूची में प्रस्तावकों के नामों को पढ़ा गया सदस्यों की स्वीकृति उपरान्त प्रस्तावकों के नामों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**
मद सं0 6.	माननीय अधिषद् सदस्यों द्वारा किये गए प्रश्नों के लिखित उत्तर के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, माननीय अधिषद् सदस्यों द्वारा किये गए प्रश्नों के लिखित उत्तर के अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ख) पृ0सं0–(9–33)**
मद सं0 7.	अधिषद् में वर्ष 2018–2019 के बजट अभिषद् के बरीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर विचार।

ग्रन्थागार 19/12/17

निर्णयः सर्वसम्मति से अभिषद् के सदस्य डा0 विनोद कुमार चौधरी के नाम को अधिषद् में वर्ष 2018–2019 के बजट प्रस्तुत किए जाने के लिए अधिकृत किया गया।

मद सं0 8. वर्ष 2018–2019 के बजट अभिभाषण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, बजट अभिभाषण वर्ष 2018–2019 को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ग) पृ0सं0–(34–36)

मद सं0 9. विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार

निर्णयः विचारोपरान्त, विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2017 के कार्यवृत्त के मद सं0 3के मद सं0 3 में संबंधन की अपनायी गयी प्रक्रिया को देखे जाने की सहमति बनी। उक्त संशोधन के साथ अन्य निर्णयों को यथावत अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(घ) पृ0सं0–(37–41)

मद सं0 10. अतिरिक्त यदि कोई हो(अध्यक्ष की अनुमति से)।

अतिरिक्त मदः 01. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों की भांति विश्वविद्यालय चिकित्सकों की सेवा–निवृति की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किये जाने हेतु अभिषद् की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः विचारोपरान्त, राज्य सरकार के पत्रांक15/एम 1–117/2013–1909 एवं दिनांक 20.11.2017 के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों की भांति विश्वविद्यालय चिकित्सकों की सेवा–निवृति की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

अतिरिक्त मदः 02. वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.12.2017 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.12.2017 के कार्यवृत के अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ङ) पृ0सं0–(42–43)

अतिरिक्त मदः 03. डॉ0 कुशेश्वर यादव, प्रोफेसर, रसायनशास्त्र विभाग, समस्तीपुर महाविद्यालय, समस्तीपुर का संशोधित प्रोन्नति की अधिसूचना के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, डॉ0 कुशेश्वर यादव, प्रोफेसर, रसायनशास्त्र विभाग, समस्तीपुर महाविद्यालय, समस्तीपुर का संशोधित प्रोन्नति की अधिसूचना के अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मदः04. परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 16.12.2017 के कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 16.12.2017 के कार्यवाही को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(च) पृ0सं0–(44–45)

अतिरिक्त मदः 05. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सम्पन्न 80वीं सलाहकार समिति की पारित कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सम्पन्न 80वीं सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15.12.2017 मे पारित कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(छ) पृ0सं0–(46–52)

अतिरिक्त मदः 06. अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2017 के अन्यान्य मद सं. – 17 के निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय के आजीवन अधिषद् के सदस्य के अनुशंसा के लिए गठित समिति के निर्णय के अनुमोदन पर विचार।

19/12/17

निर्णयः **विचारोपरान्त,अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2017 के अ0मद सं017 में गठित समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 28 व्यक्तियों, जिनका नाम विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भेजी जा चुकी है, तथा डा0 संदीप कुमार झा एवं डा0 अंजीत कुमार चौधरी के द्वारा राशि जमा की जा चुकी है, को भी उक्त समिति की अनुशंसा प्राप्त करते हुए सभी (28 एवं 2) के नामों की अनुशंसा का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ महामहिम सचिवालय को भेजे जाने की सहमति बनी। परिशिष्ट –(ज) पृ0सं0–(53–57)**

अतिरिक्त मदः 07. चतुर्थ चरण में अंगीभूत महाविद्यालयों के वैसे शिक्षकों जिसका मामला न्यायालय में नहीं है के प्रोन्नति एवं वैसे शिक्षकों जिसके संबंध में न्यादेश राज्य सरकार को प्राप्त है की स्टेटस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये जाने के संबंध में विचारार्थ अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **विचारोपरान्त,निमानुकूल प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोन्नति दिए जाने की सहमति बनी।**

अतिरिक्त मदः 08. आउटसोर्स में नियुक्त कर्मियों की मानदेय वृद्धि से संबंधित अधिसूचना SC/10/17 दिनांक 15.01.2017 में दिये गये लाभ दिनांक 01.12.2016 को 01.04.2015 से एकिकृत कर अनुपालित किये जाने हेतु अभिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ उपस्थापित।

निर्णयः **विचारोपरान्त,माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमानुकूल प्रक्रिया के अंतर्गत देखे जाने की सहमति बनी**

अतिरिक्त मदः 09. के0भी0एस0 कॉलेज, उच्चैठ, मधुबनी में नियामानूकुल नियुक्त कर्मियों के वर्षो से लम्बित वेतन भुगतान हेतु मामला अभिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ उपस्थापित।

निर्णयः **विचारोपरान्त, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमानुकूल प्रक्रिया के अंतर्गत देखे जाने की सहमति बनी**

अतिरिक्त मदः 10. जी0डी0 कॉलेज, बेगुसराय के अवकाशप्राप्त शिक्षक श्री विजय मोहन सिंह, मनोविज्ञान का मामला अभिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ उपस्थापित।

निर्णयः **विचारोपरान्त, जी0डी0 कॉलेज, बेगुसराय के अवकाशप्राप्त शिक्षक श्री विजय मोहन सिंह, मनोविज्ञान के शाररीक अस्वस्थता के कारण भुगतान किए जाने की सहमति बनी।**

अतिरिक्त मद : 11. श्री शचीन्द्र नाथ झा, सेवानिवृत सहायक, एम0के0कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा के बिना सूचना की अनुपस्थिति को विनियमित करने हेतु अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

निर्णयः **विचारोपरान्त, श्री शचीन्द्र नाथ झा, सेवानिवृत सहायक, एम0के0कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा के बिना सूचना की अनुपस्थिति को विनियमित करने हेतु अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव को निरस्त किया गया।**

अतिरिक्त मदः 12. काजी अहमद डिग्री महाविद्यालय, जाले, दरभंगा को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में पूर्व से प्रतिष्ठा स्तर तक संबंधन प्राप्त विषयों में स्थायी संबंधन के संबंध में विचार।

नेर्णयः विचारोपरान्त, पाच सदस्यीय समिति गठन कर महाविद्यालय की जॉच कराए जाने का निर्णय लिया गया ।जॉच समिति के प्रतिवेदन के आलोक निर्णय लिए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्यन्य मदः 1. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से नवनिर्मित महिला छात्रावास तत्काल डब्लू0 आई0 टी0 के छात्राओं को दिए जाने की सहमति बनी**

बैठक के अंत में सभी सदस्यों द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदय को श्री संजय सरावगी को अभिषद् में सदस्य नामित करने के लिए साधुवाद दिया गया इसके बाद कुलसचिव द्वारा बैठक के संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पचात् माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

ह0/–
(मुस्तफा कमाल अंसारी)
कुलसचिव–सह–सचिव

ह0/–
(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांक : UB-2898-53/17

दिनांक : 20/12/2017

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
3. निदेशक,उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

19/12/17
कुलसचिव